



संख्या :- 687 / कुसका / भा0वि0वि0 / 2021
दिनांक : 05 अगस्त, 2021

कार्यालय-आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथा संशोधित)-1973 की धारा 25(2) एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-5 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद का गठन निम्नवत है-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष, कला एवं मानविकी संकाय।
3. प्रो0 माहरुख मिर्जा, आचार्य, वाणिज्य विभाग।
4. प्रो0 सैय्यद हैदर अली, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण/विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग।
5. प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, संकायाध्यक्ष, विज्ञान, संकाय।
6. प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय।
7. प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, प्रतिनिधि अन्य पिछड़ा वर्ग।
8. प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य, अंग्रेजी विभाग।
9. प्रो0 फखरे आलम, आचार्य, उर्दू विभाग।
10. प्रो0 सौबान सईद, आचार्य, उर्दू विभाग/पुस्तकालय प्रभारी।
11. डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग।
12. डॉ0 जमाल शब्बीर रिजवी, सह आचार्य, उर्दू विभाग।
13. डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य, गृहविज्ञान विभाग।
14. डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल विभाग।
15. डॉ0 मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग।
16. डॉ0 मुर्तजा अली अतहर, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग।
17. डॉ0 वसी अहमद आजम अंसारी, सहायक-आचार्य, उर्दू विभाग।
18. डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0।


उपरोक्तानुसार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथा संशोधित)-1973 की धारा 25(2) के खण्ड (iv), (vii), (viii) और (ix) में परिभाषित सदस्यों की सदस्यता तीन वर्षों तक होगी।

2- उपरोक्त कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(संजय कुमार)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिकारीगण।
2. विद्यापरिषद के समस्त सदस्यगण।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षक।
4. निजी सचिव, कुलपति, को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
6. गार्ड फाइल।


05/08/2021
उप कुलसचिव (शैक्षणिक)।